YKa9-30

#### FORM-1

(For linear of project)
Government of uttrakhand
Office of the district CollectorNew Tehri

No.908 /XXVI-41 (2014-15)

Dated New Tehri, 18-02-15

#### To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pl) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled. Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.565 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Devlopment Department Uttrakhand (name of user agency) for Chopriyal Gaon- Sour Motor Road Km. 12.00 to Khurait Motor Road (Purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal District falls within jurisdiction of Khurait village(s) in Tehri tehsils.

#### It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.565 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 3 annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Encl.: As above.

(Full name and of

eal of the District Collector)

C>-0

टिडरी गढवाल

New Tehri

Executive Eng

nt Engineer

P.M.G.S.Y. Irrigation Divn-2

P.M.G.S Y Imgation Divn-2 New Tehri

वहसीलवार हिहरी

टिहरी गढ़वाला

उप जिलाधिकारी टिहरी, टि०ग०

#### FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector New Tehri

No. 908/XXVI-41 (2014-15)

Dated 18-02-015

#### To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.565 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Deviopment Department Uttarakhand (name of user agency) for Chopriyal Gaon-Saur Motor Road Km. 12.00 to Khurait Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Khurait village (s) in Tehri tehsils.

#### It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30.4
- the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered. Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- 3. the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the garm sabha of Khurait villages(s) is enclosed as annexure 30.3 to annexure 30.4
- the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above

(युगल किशोर पन्त) (Full earne and official seal of the District Collector) जिलाहिकारी JR-9-30.1

# OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT TEHRI GARWHAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schelule

Tribes & other Traditional Fores Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Sri Yugal Kishore Pant, I.A.S. District Collector Tehri Garhwal on .18-02-015. At Tehri in which the applicant claiming rights in Thauldhar block area measuring 2.565 Hect. For the construction of Chopriyalgaon Sour Motor Road Km. 12.00 to Khurait Motor Road in Tehsil Tehri of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tehri sub division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place New Tehri DatedDistrict Committee

It is further certified that Minutes of Meeting of Chopriyalgaon Sour Motor Road Km. 12.00 to Khurait Motor Road (Length- 5.00 K.M.) regarding FRA is as following-(Meeting date 18-92-915)

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.565 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

सिरस्य जिलान्द्र अग्रेशतः सम्बद्धाः विकारमञ्जूषाः जिला हम्माजन्यास्यासिकासी जिला हिस्से गृह्याल नरेन्द्रनगर

प्रभावीम् अन्यभित्ताचा । मुजिस्मित्यो वरेन्द्रनगुरुवाच टिहरी गढ्यास

रेखा पुण्डीर सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र कोट वार्ड-10 जिला-टिक्षी गढवाल

Signature (Full name and off**शिशादिकारी** 

टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज नवम् के अन्तर्गत प्रस्तावित चौपड़ियाल गांव से सौड़ मोटर मार्ग के किमी0 12.00 से खुरैत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। लम्बाई 5.00 किमी0, स्टेज-प्रथम

कार्यालय उप जिलाधिकारी, टिहरी अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, टिहरी

उपखण्ड दिहरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत चौपड़ियाल गांव से सौड़ मोटर मार्ग के किमी० 12.00 से खुरैत मोटर मार्ग (लम्बाई— 5.00) का नव निर्माण कार्य हेतु (2.025 हें0 आरक्षित वन भूमि, 0.540 हें0 सिविल एवं सोयम वन भूमि , अर्थात कुल 2.565 हें0 वन भूमि ) का वन विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील टिहरी ) की दिनांक 07.10.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अभिषेक त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- अप्रिक्षक त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी, टिहरी, अध्यक्ष।
- अप्री बृजमोहन डोबरियाल, उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर (मुनिकीरेती) टिहरी सदस्य।
- 3- श्री राजेन्द्र सिंह राणा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी चम्बा सदस्य / सचिव।
- 4- श्रीमती गीता डबराल, बीठडीठसीठ क्षेत्र खुरैत सदस्य।

उपरवण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चौपडियाल गांव से सौड मोटर मार्ग के किमी० 12.00 से खुरैत मोटर मार्ग (लम्बाई— 5.00) का नव निर्माण कार्य प्रस्तावित है। एवं प्रयोक्ता एजेन्सी को निर्माण कार्य हेतु 2.565 हैं। वनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यायर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री बृजमोहन डोबरियाल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड टिहरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत चौपड़ियाल गांव से सौड़ मोटर मार्ग के किमी0 12.00 से खुरैत मोटर मार्ग (लम्बाई— 5.00) परियोजना के निर्माण हेतु 2.565 है० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड **उपक्षित्वम** अधिकार समिति त**रिस्तेल**-पिटेहरी जनपद टिहरी गढवाल

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(श्रीमती गीता डदराल) लदस्य क्षेत्र पंचायत अर्थे लडोड-राच्या करवा दिइसी जक्वाल सहायक शताज वेक्चाण अधिकारी विकास खाण्ड, प्रम्वा (दि० ५००)

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- टिहरी जनपद टिहरी गढवाल परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज नवम् के अन्तर्गत प्रस्तावित चौपड़ियाल गांव से सौड़ मोटर मार्ग के किमी0 12.00 से खुरैत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। लम्बाई 5.00 किमी0, स्टेज-प्रथम

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- खुरैत तहसील टिहरी, जिला- टिहरी गढ़वाल

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के अन्तर्गत चौपड़ियाल गांव से सौड़ मोटर मार्ग के किमी0 12.00 से खुरैत मोटर मार्ग (लम्बाई - 5.00) के नवनिर्माण हेतु (2.025 है0 आरक्षित वन मूमि, 0.540 है0 सिविल सोयम मूमि) अर्थात कुल 2.565 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास विमाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत खुरैत द्वारा दिनांक 29.08.2014 को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम. 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अधवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताद पारित किया गया कि ग्राम खुरैत के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु विये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-ग्राम सचिव मुहर सहित

> (श्रीमती गीता डवराल) संदर्भ क्षेत्र पंचायत संदर्भ चन्द्रा प्रमा दिहरी अक्वास


ह0 /-ग्राम प्रधान / सरपंच

काम वास वयावत करून विमास 29-08-019

### ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चौपड़ियाल गांव सौड़ मोटर मार्ग के किमी0 12.00 से खुरैत मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी0 के निर्माण के अन्तर्गत आवेदित वनभूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जन जाति समूह व आदिकालीन कृषि समुदाय प्रभावित नहीं हो रहा है।

ग्राम पंचायत की दिनांक 29-8-2014 की आम बैठक में विचार विमर्श कर यह प्रमाण



नवान ( नवारी पुष्पा स्नामानी Darkes & Sullani Janti mouth राजेश्वरी देवी साधना स्वी Ma Estal Subherb Clovind 0/10/160/1 द्या वेती MAHESH 130001 307 charo Atris Summer day उम्बद्ध जिला दिए इ.व.